

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.386(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.283(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.374(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.422(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.501(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4014/18/25]

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1563(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 या यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के स्थान पर 1 जुलाई, 2025 से प्रतिबंध के बारे में है।

(दो) का.आ.2920(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर 1 जुलाई, 2025 से देशभर में प्रतिबंध के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4015/18/25]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 19 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.884(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1368(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोलर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1815 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एल्युमीनियम और एल्युमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2021(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 16 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2682(अ) (केवल अंग्रेजी

संस्करण में) और का.आ.2683(अ) (केवल हिंदी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

- (पांच) घरेलू, वाणिज्यिक और समान विद्युत उपकरण सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2232(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2283(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सात) हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3385(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4016/18/25]

- (4) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4017/18/25]

- (6) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.2863(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-1 (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दो) का.आ.2887(अ) जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-1 (आयात

नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के बारे में है।

- (तीन) का.आ.2951(अ) जो दिनांक 1 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को जारी रखने के बारे में है।
- (चार) का.आ.2952(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल सोडा ऐश के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त को बढ़ाए जाने के बारे में है।
- (पांच) का.आ.3290(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची- I (आयात नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के संबंध में दिनांक 27 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या 21/2025-26 के शुद्धिपत्र के बारे में है।
- (छह) का.आ.3459(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 40/2024-25 के शुद्धिपत्र के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4018/18/25]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution: -

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (4 of 2025) on Accounts of the Union Government (Financial Audit), Ministry of Finance, for the year 2022-23.

[Placed in Library, See No. LT 4019/18/25]

- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India -Union Government (7 of 2025) - Economic and Service Ministries (Compliance Audit ? Civil) for the period ended March 2022.

[Placed in Library, See No. LT 4020/18/25]

- (3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (8 of 2025) on the Activities of Indian National Centre for Ocean Information Services (Compliance Audit ? Civil), Ministry of Earth Sciences.

[Placed in Library, See No. LT 4021/18/25]

- (4) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (9 of 2025) - (Railway Finances), Ministry of Railways, for the year ended March 2023.

[Placed in Library, See No. LT 4022/18/25]

- (5) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (11 of 2025) (Compliance Audit) ? Department of Revenue (Indirect Taxes ? Customs), for the year ended March 2022.

[Placed in Library, See No. LT 4023/18/25]

- (6) Report of the Comptroller and Auditor General of India ? Union Government (12 of 2025)? Performance Audit Report on E-Way Bill System under GST - Indirect Taxes ? Goods and Services Tax, Department of Revenue, for the year ended March 2024.

[Placed in Library, See No. LT 4024/18/25]

- (7) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (13 of 2025) on Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects (Performance Audit) ? Ministry of New and Renewable Energy.

[Placed in Library, See No. LT 4025/18/25]

- (8) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (16 of 2025) on Accounts of the Union Government (Financial Audit), Ministry of Finance, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 4026/18/25]

- (9) Union Government-Appropriation Accounts of Defence Services for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 4027/18/25]

- (10) Appropriation Accounts - Part I ? Review, Ministry of Railways (Railways Board), for the year 2023-24.

- (11) Appropriation Accounts - Part II ? Detailed Appropriation Accounts, Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2023-24.

- (12) Appropriation Accounts - Part II ? Detailed Appropriation Accounts (Annexure ? G), Ministry of Railways (Railways Board), for the year 2023-24.

[Placed in Library, See No. LT 4028/18/25]

? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 4, श्री रामदास अठावले जी ।

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Hon. Speaker, Sir, I lay on the Table: -

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4029/18/25]

- (3) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2022-2023 and 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2022-2023 and 2023-2024.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4030/18/25]

? (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 5, श्री राम नाथ ठाकुर ।

? (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कीटनाशक (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.368(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) कीटनाशक (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (3) का.आ.2703(अ) जो 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 4031/18/25]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 6, श्री भागीरथ चौधरी जी ।

? (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4032/18/25]

12.12½ hrs

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 7, श्री जॉर्ज कुरियन जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005: -
 - (i) The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.33(E) in Gazette of India dated 9th January, 2024.
 - (ii) The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.750(E) in Gazette of India dated 4th December, 2024.
 - (iii) The Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008 published in Notification No. 10 in weekly Gazette of India dated 14th March, 2008.
- (2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 8, महासचिव जी ।

-

12.12¼ hrs